नई शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में उच्च शिक्षा का विश्लेषणात्मक अध्ययन''

डॉ0 राधेश्याम सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर
इतिहास विभाग
राजकीय महिला महाविद्यालय, खरखौदा, मेरठ
rachitradheyshyam@gmail.com

सारांशिका: नई शिक्षा नीति, 2020 के द्वारा उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे बदलाव करने की सिफारिश की गई है, जो श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अपनी प्रमुख भूमिका प्रस्तुत करेगीं। उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एकल विनियामक संस्था की स्थापना उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वायत्ता प्रदान करना, उच्चतर शिक्षण संस्थानों को बहुविषयक बनाना, उच्चतर शिक्षण संस्थानों में स्थानीय/भारतीय भाषाओं या द्विभाषिकता पर बल दिये जाने पर जोर दिया गया है। सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि करने सन् 2035 तक 50: करने का लक्ष्य निर्धारित है, ऑनलाइन कोर्सों को विकसित करने पर भी जो दिया गया है जिससे अधिक छात्र उच्च शिक्षा से जुड सकेंगे। जो इस शिक्षा नीति का प्रशंसनीय कार्य है। उच्च शिक्षा के अवसरों में वृद्धि के लिए छात्रों को विभिन्न प्रोत्साहन देने का प्रावधान भी है किसी छात्र को एक वर्ष की शिक्षा पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट और क्रेडिट स्कोर प्रदान किया जायेगा। उच्च शिक्षा के सार्वजनिक एवं निजी संस्थानों को समान प्रोत्साहन देने पर जोर दिया जायेगा मुक्त शिक्षा के द्वारा प्राप्त डिग्री एवं डिप्लोमा की मान्यता समान होगी। कॉमन इलेजिबेल्टी टेस्ट (CAT) कराने का प्रस्ताव रखा गया जो देश के सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों के लिए मान्य होगा। वर्तमान समय में विभिन्न नामों से संचालित विश्वविद्यालय को भविष्य में केवल विश्वविद्यालय नाम दिया जायेगा। विभिन्न उच्चतर शिक्षण संस्थानों में विभिन्न विषयों के संकायों को एक–दूसरे से जोड़ा जायेगा। इस शिक्षा नीति के माध्यम से उच्च शिक्षा को श्रेष्ठतर बनाने का प्रयास प्रशंसनीय है, जो रोजगार के अवसरों एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर अग्रसर करती है। उच्च शिक्षा नीति के माध्यम से उच्चतर शिक्षा को भविष्य को ध्यान में रखते हुए दिशा मिलेगी जो श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करेगी।

मुख्य शब्दः उच्च शिक्षा, चुनौतियाँ, संकल्पना, आवश्यकता, श्रेष्ठ नागरिकता

प्रस्तावना :

शिक्षा व्यक्ति के जीवन में चलने वाली अनवरत प्रक्रिया है इसीलिए शिक्षा में समय–समय पर परिवर्तन होना भी आवश्यक होता है शिक्षा व्यक्तित्व विकास को प्रमुख साधन है और शिक्षा में परिवर्तन शिक्षा नीतियों के आधार पर किया जाता है अतः समय–समय पर शिक्षा नीति में भी परिवर्तन होना चाहिए जिससे शिक्षा के विभिन्न आयामों में बदलाव किया जा सके। किसी देश के विकास में शिक्षा की प्रमुख भूमिका होती है। हमारे देश में सन् 1986 के बाद कोई शिक्षा नीति तैयार नहीं हुई, इसीलिए श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने शिक्षा के लिए एक नई शिक्षा नीति तैयार करने का निर्णय लिया। हमारे देश में नई शिक्षा नीति तैयार करने का प्रमुख कारण पिछले 34 वर्षों के अन्तराल में सभी क्षेत्रों में वैश्विक परिवर्तन हुए जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन की आवश्यकता को महसूस किया गया।

शिक्षा नीति तैयार करने के लिए तत्कालीन सरकार ने सन् 2015 में पूर्व कैबिनेट सचिव टी0एस0आर0 सूब्रह्मण्यम की अध्यक्षता में पांच सदस्यों की समिति का गठन किया इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 27 मई सन् 2016 को सरकार को सौंप दी , इसके पश्चात् इसरो के अध्यक्ष श्री के0 कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता (जून 2017) में 9 सदस्यों की समिति का गठन किया गया इस समिति ने तैयार ड्राफ्ट को 31 मई 2019 को मानव संशाधन विकास मन्त्रालय को सौंप दिया, जिसे भारत सरकार की कैबीनेट ने 29 जुलाई 2020 को मंजूरी प्रदान की जिसे नई शिक्षा नीति 2020 कहा गया।इस शिक्षा नीति को तैयार करने के लिए देश के प्रत्येक क्षेत्र से सुझाव लेने का कार्य किया गया, भारत की 2.5 लाख ग्राम पंचायतें 6600 ब्लॉकों, 650 जिलों के साथ–साथ शिक्षा विदों, शिक्षकों, अभिभावकों, और छात्रों के सुझावों के आधार पर नई शिक्षा नीति को तैयार किया गया। यह शिक्षा नीति राष्ट्रीय आवश्यकताओं और चुनौतियों के अनुरूप तैयार की गयी, यह शिक्षा नीति बहुप्रतीक्षित सुधार है जिससे श्रेष्ठ भारत का निर्माण किया जायेगा।

उद्देश्य :–

1. नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा की संकल्पना को समझना
2. नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के प्रावधानों का विश्लेषण करना।

उच्च शिक्षा का विश्लेषण

नई शिक्षा नीति को 21 वीं सदी की आवश्यकताओं को देखते हुए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का जरूरी उद्देश्य, चिन्तनशील बहुमुखी प्रतिभा वाले रचनात्मक व्यक्तियों को विकास करना है जो व्यक्ति का समग्र विकास एवं सीखने के प्रत्येक चरण पर कौशलों और मूल्यों के विकास पर जोर दिया जायेगा, इस शिक्षा नीति को तैयार करने के लिए वर्तमान समय की समस्याओं के साथ–साथ भविष्य की चुनौतियों को भी ध्यान में रखा गया है।

वर्तमान समय में उच्च शिक्षा की समस्यायें

- गंभीर रूप से खण्डित शैक्षिक तन्त्र
- संज्ञानात्मक कौशल के विकास और सीखने के परिणामों पर कम बल दिया गया।

- विषयों का कठोर विभाजन
- सीमित पहुँच
- सीमित शिक्षक और संस्थागत स्वायत्ता
- विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शोध पर कम बल दिया गया
- उच्च शिक्षा संस्थानों में गवर्नेस और नेतृत्व क्षमता की कमी।
- अप्रभावी विनियमन प्रणाली।

उच्च शिक्षा के सुधार के लिए प्रमुख प्रावधान

उच्च शिक्षा में सुधार के लिए नई शिक्षा नीति 2020 में निम्न सुझाव दिये गये :–

संस्थागत पुनगर्ठन और समेकन

उच्च शिक्षा में सुधार के लिए प्रमुख प्रावधान उच्चतर शिक्षा में छात्रों के सीखने के विद्वानों और साथियों के जीवन्त समुदाय, निर्माण, विषयों के बीच उपजी खाईयों को पाटने, छात्रों को उनके सम्पूर्ण मानसिक और चौमुखी (कलात्मक, रचनात्मक, विश्लेशणात्मक और खेल) विकास करने में सक्षम हों, उच्चतर शिक्षा संस्थानों को बड़े एवं बहुविषयक विश्वविद्यालय कॉलेजों और कलस्टरों में हस्तान्तरित करके उच्चतर शिक्षा को विखण्डन को समाप्त करना। भारतीय प्राचीन विश्वविद्यालयों नालन्दा, तक्षशिला बल्लभी में शिक्षा ले रहे थे जो एक बड़ी सफलता का परिणाम था जिसे आधार मानते हुए इस शिक्षा नीति में बहुविषयक विश्वविद्यालय एवं संस्थान बनाने को सुझाव दिया गया जो अत्यन्त प्रभावी हो सकता है।

बहुविषयक संस्था से अभिप्राय उच्च स्तरीय अधिगम के लिए उच्चतर श्रेणी के शिक्षण एवं शोध और सामुदायिक भागीदारी के साथ स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम चलता है तथा शोध को बराबर महत्व देने जैसे शोध गहन विश्वविद्यालय और ऐसे संस्थान जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और एक से अधिक पाठ्यक्रमों को संचालित करने पर अधिक बल दिया जायेगा। जो संस्थान को बहुविषयक वातावरण प्रदान करेगा।

उच्च शिक्षा संस्थानों को अपनी योजना कार्यों और प्रभावशीलता के आधार पर एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में जाने की स्वतन्त्रता और स्वायत्ता होगी। शिक्षण और शोध के अतिरिक्त उच्च संस्थायें सहयोग सामुदायिक, सहभागिता, सेवा, कार्य प्रणाली के क्षेत्र में योगदान देने के साथ ही शिक्षकों की योग्यता का विकास, उपर्युक्त संशोधन को प्रोत्साहन, और संरचनाओं को पुर्नस्थापित करने में भूमिका निर्वाह करेगें। उच्च शिक्षा संस्थानों का उद्देश्य सन् 2040 तक अपने आप को बहुविषयक संस्थानों के रूप में स्थापित करना होगा। उच्च शिक्षा संस्थान सर्वप्रथम सन् 2030 तक बहुविषयक संस्थान बनाने की योजना बनायेंगे और छात्रों के नामांकन एवं अधिगम स्तर में वृद्धि करेंगे। प्रत्येक जिले में या उसके समीप 2030 तक एक बड़ा बहुविषयक विश्वविद्यालय होगा।

समग्र और बहुविषयक शिक्षा

प्राचीन समय से ही भारत में छात्रों के समग्र विकास एवं बहुविषयक शिक्षा पर जोर दिया जाता था, प्राचीन साहित्य कादम्बरी में 64 कलाओं में न केवल चित्रकला, गायन विषयों के साथ–साथ गणित, व्यावसायिक क्षेत्र जैसे–लकड़ी का कार्य, सिलाई का कार्य, औषधि, सम्प्रेषण आदि कौशल शामिल थे। आधुनिक युग में कला विभिन्न कलाओं के ज्ञान को 21 वीं सदी की भारतीय शिक्षा में पुनः शामिल करने की आवश्यकता है।

एक समग्र और बहुविषयक शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की क्षमताओं सामाजिक, शारीरिक, बौद्धिक, भावात्मक को एकीकृत ढंग से विकसित करना व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए कला, मानविकी भाषा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तकनीकी, व्यवसायिक

क्षेत्र में महत्वपूर्ण 21 वीं सदी की क्षमता सामाजिक जुड़ाव की नैतिकता, कौशल, चर्चा वाद–विवाद चुने हुए क्षेत्रों में अच्छी विशेशता ही योगदान देगी। आज के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए समग्र और बहुविषयक शिक्षा की आवश्यकता है जिससे हम 21 वीं शताब्दी और चौथी क्रान्ति का नेतृत्व कर सकें। इससे हमारे तकनीकी संस्थान जैसे आई0आई0टी0 कला, मानविकी के साथ बहुविषयक शिक्षा की ओर बड़ सकेंगे। बहुविषयक शिक्षा को धरातल पर लाने के लिए सभी उच्च संस्थान लचीले और नवीन पाठ्यक्रम में क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम सामुदायिक जुड़ाव और सेवा, पर्यावरण शिक्षा और मूल्य आधारित शिक्षा के क्षेत्र शामिल होगें।

डिग्री कार्यक्रमों की अवधि एवं संरचना में बदलाव किया जायेगा स्नातक उपाधि तीन या चार वर्ष की होगी, जिसमें उपयुक्त प्रमाण पत्र के साथ निकास और प्रवेश के कई विकल्प होगें जैसे–

एक साल पूर्ण करने पर – सर्टिफिकेट दो साल पूर्ण करने पर – डिप्लोमा, तीन साल पूर्ण करने पर – स्नातक डिग्री

चार साल पूर्ण करने पर – शोध के साथ स्नातक डिग्री

अकादमिक क्रेडिट बैंक स्थापित किया जायेगा जो उच्चतर शिक्षण संस्थानों से प्राप्त क्रेडिट को डिजिटल रूप में संकलित करेगा, जिसके आधार पर उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा डिग्री दी जा सके। उच्चतर शिक्षा संस्थानों को विभिन्न स्नातकोत्तर कार्यक्रमों को प्रदान करने की स्वतन्त्रता होगी। ऐसे विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने तीन साल का स्नातक पूर्ण किया है उन्हें दो वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान किये जा सकते हैं उनका दूसरा वर्ष शोध पर केन्द्रित होगा। ऐसे छात्र जिन्होंने चार वर्ष का स्नातक कार्यक्रम शोध के साथ पूर्ण किया उनके लिए स्नातकोत्तर कार्यक्रम एक वर्ष का होगा। एम0फिल कार्यक्रम को बन्द कर दिया जायेगा साथ ही समग्र और बहुविषयक शिक्षा के लिए प्रयास किया जायेगा और मॉडल सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की जायेगी।

उच्चतर शिक्षा में समता और समावेश

नई शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा में सभी की पहुँच के लिए शिक्षा के क्षेत्र में समता, समानता और समावेश से जुड़ा दृष्टिकोण एक

समान होना चाहिए जिससे सभी को उच्च शिक्षा प्राप्त करना सुनिश्चित हो और इससे जुडे सभी चरणों में निरन्तरता होगी क्योंकि उच्च शिक्षा में सभी की पहुँच की अपार सम्भावनाएं होगी साथ ही शिक्षा का माध्यम स्थानीय/क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए जिससे सभी वर्ग एंव समुदाय के व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्राप्त हो सकें। इसके अन्तर्गत उच्चतर शिक्षा के अवसरों की जानकारी का अभाव, आर्थिक अवसरों की हानि, भौगोलिक बाधाएं भाषायी अवरोध, रोजगार के सीमित अवसरों की क्षमता से जुड़ी चुनौतियों से निपटा जा सकेगा। इसके लिए सरकार द्वारा कुछ कदम उठाये जायेंगे जैसे–

- उच्च शिक्षा संस्थानों की प्रवेश प्रक्रिया जेंडर–संतुलन को बढ़ावा देना
- गुणवत्ता युक्त ऐसे उच्चतर शिक्षण संस्थानों का नियमित विकास करना जो स्थानीय भाषा/भारतीय भाशा में या द्विभाषी रूप में शिक्षण को प्रोत्साहन देना।
- सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के उच्चतर शिक्षण संस्थानों को अधिक वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति प्रदान करना।
- बेहतर भागीदारी और सीखने के परिणामों के लिए प्रौद्योगिकी का निर्माण और विकास करना होगा।
- उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा किये जाने वाले प्रमुख कार्य
- प्रवेश प्रक्रियाओं को अधिक समावेशी बनाना।
- पाठ्यक्रम को समावेशी बनाना।
- उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों को अधिक रोजगारपरक बनाना।
- वंचित शैक्षिक पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के लिए ब्रिज कोर्स निर्मित करना।

उच्चतर शिक्षा में समता और समावेश स्थापित करने के लिए सभी को अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना पड़ेगा जिससे उच्च शिक्षा में सकलन नामांकन अनुपात 26.3(2018) से बढ़कर 2035 में 50% हो सकेगा।

निष्कर्ष :–

उपरोक्त विश्लेशण से स्पष्ट है कि नई शिक्षा नीति 2020 के द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन होगें संस्थानों को धीरे–धीरे अकादमिक एवं प्रशासनिक पूर्ण स्वायत्ता देने पर जोर दिया गया है। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) को 2035 तक 50% करने पर बल दिया गया है साथ ही साथ उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में वृद्धि एवं संस्थानों को बहुविषयक बनाने पर जोर दिया गया है उच्चतर स्तर पर शिक्षा देने के लिए स्थानीय भाशा/भारतीय भाषा या द्वि भाषिक पर बल दिया गया है साथ ही ऑनलाइन कोर्सों को विकसित करने, एकीकृत शिक्षा प्रणाली, विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालयों के नामों को समाप्त करके केवल विश्वविद्यालय के नाम से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

क्रेडिट बैंक स्थापित की जायेगी जिससे छात्रों को अपनी रुचि के अनुसार, समय के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगें किसी छात्र को एक साल पढ़ने के बाद शिक्षा छोड़ने पर भी सर्टिफिकेट प्रदान किया जायेगा। दो साल की शिक्षा पूर्ण करने पर डिप्लोमा प्रदान किया जायेगा ऐसा पहले उच्च शिक्षा में नहीं होता था, इस बदलाव के कारण छात्रों की उच्च शिक्षा के प्रति रुचि में वृद्धि होगी और अपनी रुचि में बदलाव के साथ विषयों में भी परिवर्तन कर सकेगें। इस शिक्षा नीति के द्वारा उच्चशिक्षा के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन होगें जो श्रेश्ठ भारत के निर्माण में योगदान देगें और भारत को सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी दृष्टि से श्रेष्ठ बनायेगें। नई शिक्षा नीति 2020 के द्वारा शिक्षा के क्षत्रे में क्रान्तिकारी परिवर्तन की पहल है। जो उच्च शिक्षा को वैश्विक स्तर पर हो रहे परिवर्तनों के साथ स्थापित करने का प्रयास है।

सन्दर्भ ग्रंथः

- भारत सरकार, 2020 नई शिक्षा नीति मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, भारत।
- https://youtu.be/UWrUQAs-7-k.
- https://hindi.rajras.in/nayi-rashtriya-shiksha-neeti-2020/
- https://www.uttamhindu.com/Politics/150172/new-education-policy-foundation-of-new-india
- https://hindi.carrerindia.com/news/new-national-education-policy-2020-002187.html.